मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2026 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 17 फरवरी, 2026 (माघ 28, 1947)

समय 11.00 बजे दिन.

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्री अजित पवार, उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन,

(2) श्री सुरेश कलमाडी, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री,

(3) श्री कन्हू चरण लेंका, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री,

(4) दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 को असम में हुए हादसे में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के शहीद जवान तथा

(5) दिनांक 22 जनवरी, 2026 को जम्मू संभाग में सैन्य वाहन के खाई में गिरने से सेना के शहीद जवान एवं अनेक हताहत जवान.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त),** दि स्टेट फायनेंशियल कार्पोरेशन अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम के 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(2) **श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री,** मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 (क्रमांक 9 सन् 2004) की धारा 12 की उपधारा (4) के तहत बनाये गये मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण नियम, 2005 के नियम 21 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखेंगे.

(3) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री,** मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अंकेक्षित लेखे वर्ष 2024-2025 पटल पर रखेंगे.

(4) **श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री संस्कृति (डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत),** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) एन.एच.डी.सी. लिमिटेड का 25 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025, एवं

(ख) नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023

पटल पर रखेंगे.

(5) **श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री वन,** जैव विविधता अधिनियम, 2002 (क्रमांक 18 सन् 2003) के तहत बनाये गये मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 21 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखेंगे.

4. फरवरी, 2024 से दिसम्बर, 2025 सत्र तक के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड- 6 पटल पर रखा जाना

5. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2025 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

6. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) **सर्वश्री आतिफ आरिफ अकील, राजन मण्डलोई, सदस्य,** राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों की निरन्तर बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश नहीं लगाये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **श्री जयंत मलैया, सदस्य,** दमोह जिले के अंतर्गत सीतानगर मध्य सिंचाई परियोजना की मूल डी.पी.आर. में परिवर्तन की जांच किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 188-राजपुर (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री बाला बच्चन को विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2026 सत्र में बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री हरदीप सिंह डंग, सभापति, याचिका एवं अभ्यावेदन समिति का याचिकाओं से संबंधित दशम् एवं एकादश प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री महेन्द्र हार्डिया, सभापति, पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का सप्तम्, अष्टम् एवं कार्यान्वयन से संबंधित प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) **श्री विजय रेवनाथ चौरे, सदस्य, -**
(क) छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम पोनारी से अर्जुनवाड़ी तक सड़क का निर्माण कराये जाने,
(ख) पांढुर्णा जिले के ग्राम पिपला नारायणवार से बाना बाकोडा के मध्य खोल नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने,

(2) **श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य,** दतिया जिले के -
(क) ग्राम औरीना के पांडे मोहल्ला से कांवर के हार तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम भदमरा में सड़क का निर्माण कराये जाने,

(3) **श्री राजेश कुमार वर्मा, सदस्य,** पन्ना जिले के
(क) ग्राम मुटवाकलॉं में झिरिया नाले पर स्टाप डेम निर्माण कराये जाने,
(ख) गुन्नौर अंतर्गत बरसोभा शासकीय हाई स्कूल का भवन निर्माण कराये जाने,

(4) **श्री केशव देसाई, सदस्य,** भोपाल शहर से शाजापुर शहर के मध्य बस सेवा चालू कराये जाने,

(5) **डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य,** धार जिले के मनावर अंतर्गत ग्राम पंचायत छितरी (बियाबानी) एवं अन्य ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य (ट्रांसफार्मर स्थापना) कराये जाने,

(6) **श्री घनश्याम चन्द्रवंशी, सदस्य,** शाजापुर जिले के ग्राम चाकरोद मे रेल्वे स्टेशन की ओर जाने वाले मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(7) **श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य,** विदिशा जिले के ग्राम पिपरहुंटा में नवीन पोल सहित बिजली लाईन लगवाये जाने,

(8) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य,** निवाड़ी जिले के ग्राम बमरौली से वीरसागर तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(9) **श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य,** राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर अंतर्गत वार्ड क्र. 12 की समस्त गलियों में पेवर ब्लॉक व रोड का निर्माण कराये जाने,

(10) **श्री पंकज उपाध्याय, सदस्य,** मुरैना जिले के धौरेरा मोड से ग्राम देवगढ़ तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(11) **श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य,** टीकमगढ़ जिले के -
(क) ग्राम पंचायत अस्तौन में हो रही अवैध शराब बिक्री बंद कराये जाने,
(ख) ग्राम जसवंतनगर में दरयावनगर रोड से कटेराखेरा होते हुये यादव बस्ती नगर मऊरानीपुर मेन रोड तक डामरीकरण रोड निर्माण कार्य कराये जाने,

(12) **श्री प्रदीप पटेल, सदस्य,** मऊगंज जिले की ग्राम पंचायत बीरादेई के कोगहा टोला आदिवासी बस्ती में 30 पोल एवं नवीन ट्रांसफार्मर स्थापित कराये जाने,

(13) **डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य,** प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों में अंगदान हेतु केन्द्र बनवाये जाने,

(14) **श्री मथुरालाल डामर, सदस्य,** रतलाम जिले के ग्राम जेतपाड़ा से बिरमावल मार्ग को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने,

(15) **श्री अभय मिश्रा, सदस्य,** रीवा जिले के ग्राम बधरा से अनुसूचित जाति-जनजाति बस्ती से होकर मंदिर तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(16) **श्रीमती रीती पाठक, सदस्य,** सीधी नगर के प्रमुख मार्गों के डिवाइडरों में विद्युतीकरण कर प्रकाश व्यवस्था कराये जाने,

(17) **श्री राजेश कुमार शुक्ला, सदस्य,** छतरपुर जिले के ग्राम छिरावल से जामनन पुरवा तक पहुंच मार्ग निर्माण कराये जाने,

(18) **श्री हरि सिंह सप्रे, सदस्य,** विदिशा जिले के बमोरी शाला उपस्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन कराये जाने,

(19) **श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य,** भिण्ड जिले के ग्राम अहरौलीघाट में माता मंदिर से अहरौली पुरा तक रोड निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

11. लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए सदस्यों का निर्वाचन

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), प्रस्ताव करेंगे -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1), 223-क के उपनियम (1) तथा 234-ढ़ के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए क्रमश : लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

12. वर्ष 2025-2026 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), वर्ष 2025-2026 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

13. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री अजय विश्नोई, सदस्य द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2026 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.".

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 16 फरवरी, 2026